

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

प्रशासनिक कार्यों के संग
अक्टूबर 2021

भ्रज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सायरीबाई

बनाम मोहन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 187/2020 प्रोप्टर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11/10/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती सायरीबाई

पिता श्री शंकरलाल गुजर

निवासी- भोयलडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

काठोडिया स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....

420, 438/1002, 449, 452

कुल कीता 4 कुल रकबा 1.2100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम काठोडिया स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 420, 438/1002, 449, 452

कुल कीता 4 रकबा 1.2100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000.00 रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर विश्नाई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

